उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

विषयः— पार्थना पत्रस्थानान्तरण संख्या 07 /2025

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई

प्रकरण सं.:— 235/08 पुराना , नया 199/2024
प्रकरण दायर दिनांक 16.10.2008 पुराना , दिनांक 30.12.2024 नया
निर्णय दिनांकः— 29.1.2025

उनवान

1. गणेश पुत्र धन्ना
2. पून्या पुत्र धन्ना
3. लल्लू पुत्र धन्ना

} जाति माली निवासी राजवास तहसील बसवा जिला दौसा

:—वादीगण

बनाम

1. गंगाराम (फौत)
   1/1 श्रीनारायण पुत्र गंगाराम
   1/2 मुंशीराम पुत्र गंगाराम
   1/3 रामजीलाल पुत्र गंगाराम (फौत) के बजाय
   1/3/1 सुनील
   1/3/2 महेन्द्र
   1/3/3 भागचंद
   1/3/4 हेमचंद
   1/3/5 मन्टी देवी पत्नी रामजीलाल
   1/4 बाबूलाल पुत्र गंगाराम
   1/5 मुरारी लाल पुत्र गंगाराम
   1/6 संतो पुत्री गंगाराम पत्नि मूलचंद जाति माली निवासी जादूवाली ढाणी सिकन्दरा तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
   1/7 मु. सुशीला पुत्री गंगाराम पत्नि गोरधन जाति माली निवासी जादूवाली ढाणी सिकन्दरा तहसील सिकन्दरा जिला दौसा
   1/8 मु. विमला पुत्री गंगाराम पत्नि भगवान सहाय जाति माली निवासी अरनियां तहसील अरनियां तहसील बांदीकुई जिला दौसा
   1/9 मु. रामोती पुत्री गंगाराम पत्नि छोटेलाल जाति माली निवासी अरनियां तहसील बांदीकुई जिला दौसा
2. गणपत पुत्र सुन्दर (फौत)
   2/1 हीरालाल पुत्र गणपत
   2/2 लछमण पुत्र गणपत
   2/3 मनोहर पुत्र गणपत

   } जाति माली निवासी राजवास तहसील बांदीकुई जिला दौसा

   2/4 कौशल्या पुत्री गणपत पत्नि शिम्भू जाति माली निवासी डेरा तहसील रैणी जिला अलवर
   2/5 जनकी पुत्री गणपत पत्नि नामालूम जाति माली निवासी किशनपुरा
   2/6 छोटी पुत्री गणपत पत्नि नामालूम निवासी किशनपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

…/कोर्ट/2025/78 … जिला कलक्टर, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

दिनांक:-22.01.2025

2/7 भगोती पुत्री गणपत पत्नि मुरारी जाति माली निवासी सिकराय कुण्डारा की ढाणी तहसील सिकराय जिला दौसा

3\. भगवान्या पुत्र सुन्दर (फौत)
3/1 बच्ची देवी (फौत)
3/2 चौथमल (फौत)
3/2/1 रोशन पुत्र चौथमल
3/2/2 उगन्ती पत्नि चौथमल
3/2/3 कालूराम पुत्र चौथमल (फौत)
3/2/3/1 बीना पत्नि कालूराम
3/2/3/2 हर्षित पुत्र कालूराम
3/2/3/3 मयंक पुत्र कालूराम

(3/1 से 3/2/3/3) समस्त जाति माली निवासी निवासी राजवास तहसील बसवा
(3/2/3/2, 3/2/3/3) नाबालिग जरिये कुदरती मां बीना देवी

3/2/4 इन्द्रा पुत्री चौथमल पत्नि राजेश जाति माली निवासी भाण्डेडा तहसील बांदीकुई
3/2/5 ममता पुत्री चौथमल पत्नि राजेश जाति निवासी पंचमुखी के पास पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा
3/2/6 ललिता पुत्री चौथमल पत्नि बबली जाति माली निवासी भाण्डेडा तहसील बांदीकुई
3/3 मोतीलाल (फौत) के बजाय
3/3/1 पूरण पुत्र मोती लाल जाति माली निवासी राजवास तहसील बसवा
3/3/2 कमली पत्नि मोतीलाल जाति माली निवासी राजवास तहसील बसवा
3/3/3 बीला पुत्री मोती लाल पत्नि विनोद जाति माली निवासी सुरेर तहसील राजगढ
3/3/4 सीता पुत्री मोती लाल पत्नि दिनेश जाति माली निवासी सुरेर तहसील राजगढ
3/3/5 मनीषा पुत्री मोतीलाल
3/3/6 प्रियंका पुत्री मोतीलाल
3/4 रामकिशन पुत्र भगवान्या
3/5 मांगीलाल पुत्र भगवान्या

(3/3/5 से 3/5) समस्त जाति माली निवासी राजवास तह. बसवा

3/6 भूरा पुत्री भगवान्या पत्नि बाबूलाल जाति माली निवासी पंचमुखी के पास पण्डितपुरा तहसील बसवा जिला दौसा

4. शिम्भू पुत्र नारायण
5. जगदीश पुत्र नारायण
6. कमलेश पुत्र नारायण
7. कमली पुत्री नारायण पत्नि लटूर जाति माली निवासी भागल्या की ढाणी सिकन्दरा तहसील सिकन्दरा
8. प्रेम पुत्री नारायण पत्नि ग्यारसीराम जाति माली निवासी भोपान की ढाणी डेहरया लंगडा बालाजी के पास तहसील सिकराय
9. धप्पो पुत्री नारायण पत्नि कैलाश जाति माली निवासी भोपान की ढाणी, डेहरया लंगडा बालाजी के पास तहसील सिकराय
10. राजस्थान सरकार जरिये भू–स्वामी जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार बसवा जिला दौसा

" दावा इस्तकरार हक, उद्घोषणा तकास्मा एवं हुकुम इम्तनाई"

[signature]

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

कमांक/एडीएम/कोर्ट/2025/78 दिनांक:-22.01.2025

उपखण्ड अधिकारी

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा वाद इस्तकरार हक, उद्घोषणा तकास्मा एवं हुकुम इम्तनाई विरूद्ध प्रतिवादीगण जर्ये वकील श्री नवीन कुमार गुर्जर के इस आशय से पेश किया कि भूमि खतौनी संख्या नई 4 पुरानी 3 खसरा नं. 39 लगायत 58, 61 लगायत 67, 69, 70, 71, 38, 79/156, कुल किता 32 कुल रकबा 8.03 हैक्टेयर वार्षिक लगानी 275 रूपये 37 पैसे स्थित वाके ग्राम राजवास तहसील बसवा जिला दौसा वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की भूमि है। भूमि विवादित उक्त वर्णित व अन्य जो पक्षकारान की पुश्तैनी शामलाती भूमि थी की खतौनी संख्या नयी 1 संवत 2003 खसरा नं. 5 लगायत 17, 19 लगायत 27, 32, 33, 34, 36 लगायत 45, 55 लगायत 93, 95, 62/96 कुल रकबा 127 बीघा 17 बिस्वा स्थित वाके ग्राम राजवास तहसील बसवा जिला दौसा पक्षकारान के पूर्वज रामदेव व रूपचंद पिसरान बालकिशन के नाम खातेदारी में दर्ज थी। वादीगण के पिता व अन्य प्रतिवादीगण की मौजूदगी में उनकी सहमति से भूमि मुतजिकरा का विधिवत सरस नरस अनुसार तहसीलदार बसवा ने दिनांक 06.12.1963 को बंटवारा कर दिया था बंटवारे के अनुसार सभी हिस्सेदारान के अलग अलग खाते कायम कर दिये गये थे जिनके अलग अलग पर्चे व पासबुक बनायी गयी थी। भूमि खसरा नंबरान 6/2, 7 लगायत 16, 19 कुल किता 12 कुल रकबा 31 बीघा 15 बिस्वा स्थित वाके ग्राम राजवास तहसील बसवा जिला दौसा वादीगण के हिस्से में आयी थी जिस पर वादीगण ही उक्त दिन से मुताबिक बंटवारा (तकास्मा) लगातार काबिजकाश्त है। भूमि उक्त में वादीगण के रिहायशी मकानात भी बने हुये है भूमि पैतृक का तहसीलदार बसवा द्वारा किया गया बंटवारा अन्तिम रूप से पारित किये जाने के कारण प्रभावी है। रामजीलाल पुत्र ग्यारसीलाल महाजन निवासी गुढाकटला उस समय ग्राम पंचायत गुढाकटला का सरपंच था उसने बेईमानी पूर्वक उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी में 1/2 हिस्से में अपना नाम बतौर सहखातेदार तत्कालीन राजस्व अहलकारान से मिलकर दर्ज करवा लिया था जबकि उसका उक्त भूमि से किसी भी प्रकार का कोई सरोकार व ताल्लुक नहीं रहा था। गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर वादीगण के मृतक पिता धन्ना लाल व प्रतिवादीगण नं. 1 से 4 ने उक्त रामजीलाल महाजन के विरूद्ध अदालत हाजा में एक दावा उद्घोषणा व दुरूस्ती लैण्ड रिकॉर्ड का पेश किया था उक्त दावे की पैरवी प्रारंभ से अंत तक वादीगण द्वारा ही की गयी है उक्त दावे में साक्ष्य व पैरवी भी अकेले वादीगण द्वारा ही की गयी है। प्रतिवादीगण ने उक्त दावे व रामजीलाल द्वारा दावे के लम्बित रहने के दौरान रिसीवर कायम करवा दिया गया था तथा वादीगण के विरूद्ध थाना बांदीकुई में रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी थी। रामजीलाल द्वारा भूमि विवादित पर यूकों बैंक बांदीकुई से ऋण लेकर भूमि को रहन रख दिया गया था जिसकी नीलामी की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी बांदीकुई द्वारा कई बार प्रारंभ की गयी थी जिसके विरूद्ध भी वादीगण को ही बार बार मा0 रा0उ0 न्यायालय मे जाना पडा था तथा वहां से स्थगन आदेश प्राप्त किया था उसके विरूद्ध एक अपील अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बांदीकुई में भी वादीगण ने ही पेश की थी। उक्त मुकदमे में सहयोग देने का प्रतिवादीगण ने आश्वासन दिया था तथा भूमि विवादित के पैतृक होने व उसमे रामजीलाल का कोई हक नहीं होने की सूरत में उन्हे वादीगण ने बतौर साझेदार पक्षकार बनाया था इसी कारण उनको उक्त दावे में पक्षकार बनाया गया था। उक्त दावा मुकदमा नं. 181/2001 धन्ना बनाम रामजीलाल वगैराह दिनांक 19.04.2008 को रामजीलाल के विरूद्ध

डिक्री किया गया है तथा मुताबिक डिक्री रामजीलाल के नाम खोले गये नामान्तकरण नं. 3 दिनांक 12.01.1964 को रद्ध घोषित किया गया है वादीगण के पिता के नाम के इन्द्राज को यथावत रखा गया है अदालत हाजा की उक्त डिक्री दिनांक 19.04.2008 के विरूद्ध किसी भी पक्षकार द्वारा अपील पेश नहीं की गयी है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा उक्त डिक्री की पालना के लिये अदालत में इजराय का प्रार्थना पत्र भी आज दिन तक पेश नहीं किया है। वादीगण द्वारा ही उक्त डिक्री के विरूद्ध दिनांक 24.04.2008 को केवियट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 148 ए जा.दी. का राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैम्प दौसा के समक्ष पेश किया जाकर उसकी सूचना रामजीलाल महाजन को जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. पत्र प्रेषित की गयी थी जो उसको प्राप्त हो गयी है । प्रतिवादीगण ने उक्त रामजीलाल पुत्र ग्यारसीलाल से सांठगांठ कर रखी है व उसके नाजायज प्रभाव में आ गये है उससे मिलकर प्रतिवादीगण ने गैर कानूनी तरीके से बिना डिक्री की इजराय करवाये ही विधि विरूद्ध ढंग से विपक्षी संख्या 14 तहसीलदार बसवा से मिलकर उक्त डिक्री दिनांक 19.04.2008 की पालना में नामान्तकरण नं. 31 खुलवा लिया है जबकि कानूनन विपक्षी संख्या 14 को अदालत के इजराय में जारी किये आदेश के बिना डिक्री की पालना करने का कोई विधिक अधिकार नहीं रहा है। वादीगण को प्रतिवादीगण की हरकतो की जानकारी मिली तो वादीगण ने दिनांक 18.08.2008 को तहसीलदार बसवा को जरिये रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र प्रेषित किया था जो उनको दिनांक 20.08.2008 को प्राप्त हो गया है तथा दिनांक 18.08.2008 को ही पटवारी हल्का को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया था। परंतु वादीगण के प्रार्थना पत्र पर कतई गोर नहीं करके तहसीलदार बसवा ने नामान्तकरण नं. 31 दिनांक 02.09.2008 को तस्दीक कर दिया है तथा डिक्री में प्रतिवादीगण के कोई हक व हिस्से की उद्घोषणा नहीं की गयी थी फिर भी तहसीलदार बसवा द्वारा विधि विरूद्ध ढंग से प्रतिवादीगण नं. 1 से 3 का हिस्सा 3/5 तथा अन्य प्रतिवादीगण नं. 4 से 9 को हिस्सा 1/5 दर0 हि0 1/2 दर्ज कर दिया है प्रतिवादीगण को उक्त डिक्री के आधार पर कोई हक हकूक भूमि विवादित में प्राप्त नहीं हुये है क्योकि वादीगण व प्रतिवादीगण का तकास्मा भूमि मुतदाविया मुतजिकरा का दिनांक 06.12.1963 को ही हो चुका था तथा भूमि विवादित में प्रतिवादीगण का कोई हिस्सा व हक शेष नही रहा है कानूनन उक्त नामान्तकरण वादीगण के हक हकूक के विरूद्ध प्रारंभ से ही शून्य व बेअसर है। विवादित नामान्तकरण विधि विरूद्ध होने के कारण रद्द घोषित किये जाने योग्य है। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 उक्त अवैधानिक नामान्तकरण की आड में भूमि विवादित को रामजीलाल महाजन व उसके पुत्र कैलाश के सहयोग से उसको अथवा अन्य किन्ही दीगर लोगो को बेचकर खुर्द बुर्द करने के प्रयास में लगे हुये है। यदि प्रतिवादीगण ने उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर भूमि विवादित को रहन बय कर दिया तो वादीगण को फिर नये सिरे से अनेको गैर जरूरी किस्म के मुकदमों में उलझना पडेगा जिससे वादीगण की यकीनन बरबादी होगी तथा पक्षकारान के बीच झगडे बाजी होकर अशांति हो जावेगी वादीगण ने दिनांक 28.09.2008 को उक्त विवाद को हल करने के लिये इलाके के सर्व समाजो के पंचगण को इकट्ठा कर पंचायत करवायी पंचायत में बार बार सूचना देने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं आये इस प्रकार प्रतिवादीगण के मन में बदेहान्ति व बेईमानी उत्पन्न हो गयी है। वादीगण व प्रतिवादीगण व अन्य हिस्सेदारान का विधिवत दिनांक 06.12.1963 को बंटवारा हो चुका है। मुताबिक बंटवारा भूमि विवादित मुतजिकरा वादीगण के हिस्से में आयी है। प्रतिवादीगण के हिस्से व खाते में दीगर नम्बरान की भूमि बंटवारे में दी गई थी जिसकी खातेदारी व कब्जा काश्त प्रतिवादीगण के नाम चली आ रही है जिनकी मौजूदा खातेदारी खतौनी संख्या नई 9 व पुरानी 6 ख0न0 75, 76, 78, 79 ,81, 82,92, 96, 97, 100, 101, 102, 117, 133, 134, 143/157, 144, 145, 151,118 कुल किता 21 कुल रकबा 4.69 वाके ग्राम राजवास प्रतिवादीगण भगवान्या व गंगाराम के नाम दर्ज है। खतौनी

संख्या नई 13 पुरानी 10 ख0न0 155 रकबा 0.93 में भी प्रतिवादीगण 1 लगायत 9 के नाम दर्ज है। खतौनी संख्या नई 2 पुरानी 2 खसरा नम्बर 37,74, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 148, 149, 150, 154 कुल किता 12 रकबा 4.92 वाके ग्राम राजवास भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। खतौनी संख्या नई 6 पुरानी 6 खसरा नं. 23 से 29 व 3 तथा 30, 33,34 व 4 कुल किता 12 कुल रकबा 2.73 वाके ग्राम राजवास भी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त खातेदारी की भूमियां भी पक्षकारान की पुश्तैनी भूमियां रही है जो मुताबिक बंटवारा प्रतिवादीगण के हिस्से मे दर्ज की गयी है उक्तानुसार प्रतिवादीगण को भूमि विवादित के ऐवज में बंटवारे में उक्त भूमियां दी जा चुकी है विवादित भूमि वादीगण को तकास्मे में प्राप्त हुयी है भूमि विवादित में उक्तानुसार प्रतिवादीगण का कोई हक हकूक शेष नहीं रहा है इस आशय की उद्घोषणा करवाया जाकर भूमि विवादित में दर्ज इन्द्राजात प्रतिवादीगण रद्द घोषित किये जाना कानूनन एवं इंसाफन जरूरी हो गया है। प्रतिवादीया नं. 10 लगायत 13 भी वादीगण की खास बहिने है जिनने भूमि विवादित में स्थित उनके हिस्सों का वादीगण के हक में समर्पण (हक त्याग) कर दिया है उनके हिस्सो को समाप्त कर वादीगण के हक में घोषित किया जाकर उनका नाम खातेदारी से हजफ किया जाना इंसाफन जरूरी है। भूमि मुतदाविया व पक्षकारान की सकूनत अन्दर हदूद न्यायालय हाजा स्थित होने व बिनाय यौम मुखास्तमत दिनांक 02.09.2008 को विवादित नामान्तकरण दर्ज करने व यौम इंकारी दिनांक 29.09.2008 को उत्पन्न होने के कारण दावा हाजा के श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे कि उद्घोषणा इस अमर की पारित की जावे कि भूमि मुतदाविया वादीगण को मुताबिक बंटवारा दिनांक 06.12.1963 बंटवारें में प्राप्त हुयी है जिसमें प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 का कोई अधिकार नहीं है दिनांक 02.09.2008 को तहसीलदार बसवा द्वारा खोला गया नामान्तकरण नंबर 31 बहक प्रतिवादीगण नं.01 लगायत 09 अवैध होने के कारण शून्य घोषित कर सम्पूर्ण हिस्से का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तदानुसार प्रत्येक वादीगण को भूमि विवादित का प्रत्येक का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज किया जावें। बाद उद्घोषणा वादीगण के प्रत्येक के हिस्सा 1/3 का विधिवत सरस नरस अनुसार तकास्मा किया जाकर अलग अलग खातेदारी कायम करवायी जावें। प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 को दवामि निषेधाज्ञा से इस अमर से पाबंद किया जावे कि वे भूमि विवादित मुतजिकरा उक्त वर्णित के किसी भी भाग को किसी भी व्यक्ति को रहन बय नहीं करे तथा भूमि उक्त को वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की माने किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से बाज व मुमतनाह रहे भूमि विवादित के राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करे व ना ही करवाये। खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 से दिलाया जावें।

वादीगण वाद दर्ज रजि0 कर तलबी प्रतिवादीगण जर्ये नोटिस/सम्मन से की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1/3/1 लगायत 1/3/5, 3/2/6, 3/3/3, 3/3/4 तथा 4 लगातय 10 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामील हाजिर नही ना ही उनका कोई प्रतिनिधि आया तत्पश्चात कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1/1, 1/2, 1/4 लगायत 1/9 की ओर से एड. श्री श्याम सुन्दर शर्मा तथा 2/1 लगायत 2/7, 3/2/1, 3/2/2, 3/2/3/1 लगायत 3/2/3/3, 3/2/4, 3/2/5, 3/3/1, 3/3/2, 3/3/5, 3/3/6, 3/4, लगायत 3/6 की ओर से एड. श्री सम्पतराम जांगिड उपस्थित न्यायालय आये । प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 9 की ओर से जबाब वाद पत्र पेश किया कि वादपत्र का पैरा नं. 1 में भूमि मुतदाविया का ग्राम राजवास में स्थित होना स्वीकार है बकिया मजूमन जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है भूमि मुतदाविया

गोपाल, रामहेत, सुखलाल, श्रवण, भगवान्या दत्तक पुत्र पन्ना, बाबू, प्रभू, नानगराम, कालूराम खेमचंद का 1/2 हिस्सा है व वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा है और इसी प्रकार अरसे दराज बजमाने बुजुर्गान से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है। भूमि मुतदाविया 127 बीघा 17 बिस्वा ग्राम राजवास में स्थित होना स्वीकार है बकिया मजूमन जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है भूमि मुतदाविया बालकिशन के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है बालकिशन के बाद भूमि मुतदाविया को बहामि तौर पर 1/2 हिस्सा रामदेवा ने व 1/2 हिस्सा रूपचंद ने बांटकर अपनी अपनी भूमि पर कब्जा करके काश्त करते चले आ रहे है भूमि मुतदाविया में श्रवण, गोपाल, रामहेत, सुखलाल, गोपाल, भगवाना दत्तक पुत्र पन्ना, बाबू, प्रभू नानगराम, कालूराम खेमचंद का 1/2 हिस्सा एवं वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 का 1/2 हिस्सा चला आ रहा है और इसी प्रकार पक्षकारान भूमि मुतदाविया पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है।वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 रूपचंद के वंशज है और भूमि मुतदाविया में रूपचंद का 1/2 हिस्सा रहा है और उसी 1/2 हिस्से पर वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण भूमि मुतदाविया में केवल मृतक धन्ना के 1/10 हिस्से पर काबिज है। वाद पत्र में सिजरा खानदान गलत है स्वीकार नहीं है। वाद पत्र का पैरा नं. 4 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है सही तथ्य यह है कि भूमि मुतदाविया में 1/2 हिस्से पर श्रवण, गोपाल, रामहेत,सुखलाल, भूरी, भगवान्या दत्तक पुत्र पन्ना, बाबू, प्रभू, नानगराम कालूराम, खेमचंद पि. हरसहाय काबिज है। एवं रूपचंद के हिस्से में वादीगण 1/5 हिस्सा प्रतिवादी नं. 1 व 2 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादीगण नं. 3, 4, 5 व 6 ,9 का 1/5 हिस्सा, एवं भगवान्या पुत्र सुन्दर का 1/5 हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। दिनांक 06.12.1963 को पक्षकारान में कोई बंटवारा नहीं हुआ तथा इस भूमि मुतदाविया की बाबत पूर्व में भी मुकदमा न्यायालय हाजा में धन्ना बनाम रामजीलाल वगैरह मु. नं. 181/2001 चला था जिसका निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 19.04.2008 को किया गया था। जिसमें तहसीलदार बसवा का आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण आदेश संख्या 285 दिनांक 06.12.63 को अवैध शून्य घोषित किया जा चुका है यह आदेश शुरू से ही अवैध था जिसे न्यायालय हाजा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 19.04.2008 को अवैध घोषित कर दिया गया इस कारण वादीगण का कथन कतई गलत निराधार है वादीगण को 31 बीघा 15 बिस्वा भूमि कभी भी नहीं थी और न वादीगण ने कभी भी 31 बीधा 15 बिस्वा भूमि पर काश्त ही की पैरा हाजा में सारे वाकेयात कतई गलत व मनगढन्त व बनावटी दर्ज किये गये है। वाद पत्र का पैरा नं. 5 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। मुकदमा उनवानी धन्ना बनाम रामजीलाल में वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 ने बराबर का खर्चा मुकदमा लडने में किया और बराबर मुकदमे की पैरवी की है एवं उस समय जिसने भी मुकदमे रामजीलाल महाजन के विरूद्ध पेश किये गये वे उन सभी में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 ने बराबर का हिस्सा दिया है और सारा खर्चा वहन किया है वादीगण के पिता के नाम का इन्द्राज दिनांक 06.12.63 का आदेश तहसीलदार बसवा का अवैध घोषित कर दिया तो वादीगण के पिता का इन्द्राज भी स्वतः ही निरस्त हो गया और वादीगण के पिता के नाम का इन्द्राज यथावत रखने का औचित्य भी नहीं है। पैरा हाजा में सारे वाकेयात कतई मनगढन्त व फर्जी बनावटी दर्ज किय गये है। पैरा नं 6,7 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है। दिनांक 24.04.2008 को जो कैवियट अन्तर्गत धारा 148 ए में सारा खर्चा वादीगण व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 ने मिलकर किया है वादीगण ने अकेले ही कोई खर्चा नहीं किया है। वादपत्र का पैरा नं. 8 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत9 ने रामजीलाल पुत्र ग्यारसीलाल महाजन से

कोई सांठगांठ नहीं की है न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय मुकदमा नं. 181/2001 निर्णय 19.04.2008 की पालना हेतु न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बसवा को आदेश जारी किया था और आदेश के तहत तहसीलदार बसवा ने नामान्तकरण भरे है तथा खातेदारी डिक्री व निर्णय के अनुसार सही नहीं की है लेकिन डिक्री की पालना सही तरीके से नहीं हुयी है प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 का हिस्सा कम दर्ज कर दिया वादी नं. 1 ने तहसीलदार बसवा से सांठ गांठ करके 32 बीघा भूमि का अपने नाम नामान्तकरण जो खुलवाया है वह गलत है वादी नं. 1 क हिस्से में 32 बीघा भूमि नहीं आती है क्योकि न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 19.04.2008 के तहत तहसीलदार बसवा का आदेश दिनांक 06.12.63 अवैध घोषित किया जा चुका है तो वादी गणेश को 32 बीघा भूमि देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 भूमि मुतदाविया में रूपचंद के 1/2 हिस्से मे समान बराबर के अधिकारी है। और वादीगण एवं प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 9 को भूमि मुतदाविया मे रूपचंद के हिस्से में समान अधिकार के तहत ही खातेदारी दुरूस्थ किया जाना आवश्यक है। दिनांक 06.12.63 को पक्षकारान में कोई तकास्मा नहीं है। तहसीलदार बसवा ने गलत आदेश देकर खातेदारी खुलवायी थी जिसे न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय उनवानी मुकदमा धन्ना बनाम रामजीलाल मुकदमा नं. 18/2001 निर्णय दिनांक 19.04.2008 के तहत अवैध घोषित कर दिया। वाद पत्र का पैरा नं. 9 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है प्रतिवादीगण रामजीलाल या उसके पुत्र कैलाश को बेचान नहीं कर रहे है। और न प्रतिवादीगण का भूमि मुतदाविया या उसके किसी भी भाग को बेचान करने का इरादा है। पैरा हाजा के सारे वाकयात कतइ गलत मनगढनत फर्जी दर्ज किये गये है। वाद पत्र का पैरा नं. 10 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नहीं है राजस्व रिकॉर्ड में जो इन्द्राजात बंटवारा की बाबत वादी ने दर्ज किया है ऐसा कोई बंटवारा पक्षकारान के मध्य कभी नहीं हुआ है भूमि मुतदाविया में प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादीगण के नाम हो रहे इन्द्राजात को रद्द करवाने का वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। भूमि मुतदाविया की बाबत पूर्व में दावा इन्ही पक्षकारान के मध्य उनवानी धन्ना बनाम रामजीलाल मुकदमा नं. 181/2001 चलकर दिनांक 19.04.2008 को निर्णित हो चुका है इस कारण मामले हाजा मे रेसज्यूडिकेटा के प्रावधान लागू होते हे इस कारण दावा चलने योग्य नही है खारिज किये गये योग्य है। भूमि मुतदाविया में 1/2 हिस्से के हिस्सेदार सरवण, गोपाल, रामहेत, सुखलाल, भूरी भगवान्या, बाबू, प्रभू, नानगराम, कालूराम, खेमचंद है जिन्हे प्रतिवादी नहीं बनाया गया है इस कारण दावा हाजा में नुक्सअराईज होता है और दावा चलने योग्य नहीं है खारिज किये जाने योग्य है। जबाब दावा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि दावा वादीगण विधि विरूद्ध व पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जावें।

प्रकरण में वादी वाद एवं जबाब प्रतिवादीगण के अभिवचन के आधार पर तनकी कायम की गयी । वादीगण की ओर से वाद की ताईद में श्री रामनारायण पुत्र गंगाराम, गणेश पुत्र धन्ना ने शपथ पत्र साक्ष्य एवं प्रतिवादीगण की ओर से भगवानसहाय पुत्र सुन्दरलाल, मुरारी पुत्र गंगाराम, श्रीनारायण पुत्र गंगाराम ने साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये । जिनसे वकील उभयपक्ष ने जिरह पूर्ण की।

तदुपरांत हमने वादीगण/प्रतिवादीगण अभिभाषक बहस सुनी। उभयपक्ष वकुलाय ने वाद पत्र/जबाब वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया वादीगण वकील ने वाद बाबत उदघोषणा तकास्मा एवं हुकुम इम्तनाइ डिक्री कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रत्येक वादीगण को भूमि विवादित का प्रत्येक का 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में इंद्राज किये जाने व बाद उदघोषणा वादीगण के प्रत्येक के हिस्सा 1/3 का विधिवत सरस नरस अनुसार तकास्मा करने

अपूर्ण-

बाबत एवं प्रतिवादीगण वकील ने वाद पोषणीय नहीं होने व झूठे तथ्यों के आधार पर पेश करने से खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादी/प्रतिवादी अभिभाषक की बहस पर मनन किया, वादी वादपत्र एवं जबाब प्रतिवादीगण संलग्न राजस्व दस्तावेजात का कायम तनकीयात के मध्यनजर अवलोकन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

तनकी संख्या 01:– आया विवादित आराजी वादीगण की हिस्सेदारी की भूमि है तदानुसार घोषणा कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वाद की ताईद में प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल संवत 2045 प्रदर्श 2 मिलान क्षेत्रफल संवत 2052–71 प्रदर्श –3 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2052–71, प्रदर्श 4 जमाबंदी खतौनी ग्राम राजवास संवत् 2063 से 2066, प्रदर्श 5 नक्शा ट्रेस, प्रदर्श 6 मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श 7 जमाबंदी खतौनी संवत् 2063–66, प्रदर्श 8 मिलान क्षेत्रफल संवत् 2052–2071, प्रदर्श 9 नामान्तकरण संख्या 31 ,प्रदर्श 10 निर्णय डिक्री दिनांक 19.04.2008, प्रदर्श 11 जमाबंदी खतौनी संवत् 2067–2070, प्रदर्श 12 अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 31 दिनांक 02.09.2008 निर्णय दिनांक 03.03.2011, प्रस्तुत किये। प्रस्तुत किये गये दस्तावेज प्रदर्श 4 में गणेश, लल्लू,पूनीराम पुत्र धन्ना हिस्सा 1/2 जाति माली बिना रहन रामजीलाल पुत्र ग्यारसीलाल हिस्सा 1/2 जाति महाजन निवासी गुढाकटला दर्ज है। वादीगण द्वारा इस्तदुआ में मुताबिक बंटवारा दिनांक 06.12.1963 के अनुसार वादग्रस्त भूमि बंटवारें में प्राप्त होना बताया गया है उसी के आधार पर वादी खातेदारी चाहता है परंतु वादीगण द्वारा कथित बंटवारा दिनांक 06.12.1963 पत्रावली में पेश नही किया गया है । तथा ना ही न्यायालय हाजा का उनवानी मु.नं. 181/2001 उनवानी धन्ना बनाम रामजीलाल निर्णय दिनांक 19.04. 2008 का आदेश भी पेश नहीं किया है। जिसके कारण वादीगण अपने कथन को साबित करने मे असफल रहे है जब वादीगण द्वारा कोई दस्तावेज पत्रावली में पेश नहीं किया तो वादीगण के पक्ष में उक्त इस्तदुआ कैसे तय की जा सकती है उपरोक्त विवेचन के आधार पर: तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होना प्रतीत होता है ।

तनकी संख्या 02:– आया आराजी में वादीगण हिस्सा 1/3 के खातेदार है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर तनकी संख्या 01 के विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा अपने कथनों को साबित करने हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये जिसके कारण तनकी संख्या 02 वादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित नहीं है।

तनकी संख्या 03:– आया हिस्सा 1/3 का तकास्मा कराने का वादीगण अधिकारी है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 01 के विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा चाही गयी उद्घोषणा साबित नहीं होने से वादीगण हिस्सा 1/3 के तकास्मा कराने का अधिकारी नहीं है। तनकी संख्या 03 को वादीगण साबित करने में असफल रहे है उक्त तनकी वादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित नहीं है।

तनकी संख्या 04:– प्रकरण रेस ज्यूडिकेटा लागू होने के कारण खारिज योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त तनकी को साबित करने हेतु पत्रावली में कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है। जिसके कारण उक्त तनकी को साबित करने में प्रतिवादीगण असफल रहे है। इसलिये तनकी संख्या 04 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित नहीं है।

/एडीएम/कोर्ट/2025/78 ...अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

दिनांक:–22 ...

<u>तनकी संख्या 05</u>:– सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है। जिसके कारण दावा खारिज योग्य है उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि सहखातेदारो को पक्षकार नहीं बनाया गया है यदि दावे में कोई पक्षकार रह जाता है उसको बाद में भी पक्षकार बनाया जा सकता है। इसलिये तनकी संख्या 05 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय किया जाना उचित नहीं है।

<u>तनकी संख्या 06:–</u> अनुतोष। तनकी संख्या 01 लगायत 05 के विवेचन के आधार पर वादीगण अपने वाद को साबित करने में असफल रहे है। इसलिये वाद वादीगण दावा इस्तकरार हक उद्घोषणा एवं तकास्मा, स्थायी निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं वादीगण द्वारा कथित बंटवारा दिनांक 06.12.1963 एवं न्यायालय हाजा का मु.नं. 181/2001 उनवानी धन्ना बनाम रामजीलाल निर्णय दिनांक 19.04.2008 का आदेश व संबंधित दावा की प्रति मय दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं करने तथा वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा के अवलोकन के आधार पर वादीगण वाद पत्र दावा इस्तकरार हक उद्घोषणा बाबत तकास्मा एवं हुक्म इम्तनाई दवामि पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/01/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज |
| --- | --- |
| | प्रतिवादीगण से 1/3/1 लगा. 1/3/5, 3/2/6, 3/3/3, 3/3/4 तथा 4 लगा. 10 मजरूद रजिस्टर्ड एडी प्राप्त उपस्थित नहीं। आदी उनका कोई विधिक प्रतिनिधि उप० आया। अतः प्रतिवादीगण से 1/3/1 लगा. 1/3/5, 3/2/6, 3/3/3, 3/3/4 तथा 4 लगा. 10 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही को जारी हो वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 22/01/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई |
| 22/01/25 | पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। वादीगण वकील द्वारा प्रकरण पत्रावली में बहस की गयी। प्रतिवादीगण वकील द्वारा बहस हेतु समय चाहा गया। वास्ते बहस प्रतिवादीगण वकील पत्रावली दिनांक 24/01/2025 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) |
| 24/01/25 | पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। पत्रावली में न्यायालय अति. जिला कलक्टर महोदय दौसा के पत्र क्रमांक 78 दिनांक 22/01/2025 के द्वारा उक्त प्रकरण में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में वकील उभयपक्ष द्वारा बहस की गयी। हमने वकील उभयपक्ष बहस सुनी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 29/01/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) |
| 29/01/25 | पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप०। माननीय न्यायालय अति. जिला कलक्टर महोदय दौसा द्वारा उचित स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में इस प्रकरण में स्थगन बाबत कोई आदेश प्रभावी नहीं है, तथ्यात्मक रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया है। वकील उभयपक्ष बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात, पत्रावली का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष बहस पर मनन करने के आधार पर वादीगण वाद पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः पत्रावली में संलग्न दस्तावेज एवं (हस्ताक्षर) |

FORM No.III
(फर्दअहकाम नियम 26)

APP Crll

कलेक्टर ............ मुकाम ............ बनाम ............ बसवा
............ नं. ............ सन ............

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| वकील उभयपक्ष बहस के आधार पर वादीगण वाद खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण कैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 29/1/25 | |